न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–128/2017

आनन्द बिहारी ठाकुर..वादी

बनाम

योगी राय उर्फ योगेन्द्र राय एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
27.11.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 22.12.2022 आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 22.12.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा बयनामा दस्तावेज दिनांक 08.05.1954 फुलकली देवी बनाम मोख्तार ठाकुर की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल किया गया है, जो अभिलेख पर है, जो एक लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है तथा इस दस्तावेज को प्रदर्श अंकित करने का निवेदन न्यायालय द्वारा किया गया तो न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.02.2020 में निर्देश दिया गया कि उक्त दस्तावेज की नवीतम प्रति वादी दाखिल करें लेकिन नवीतम प्रति समय से उपलब्ध नहीं हो पाया तथा उसी दौरान कोबिड के चलते लॉकडाउन हो गया तथा दिनांक 21.12.2020 को वादी को नवीतम कॉपी दाखिल करने से वंचित कर दिया गया। दिनांक 08.10.2022 को उक्त दस्तावेज की नवीतम प्रति उपलब्ध हो गयी है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आदेश दिनांक 21.12.2020 को वापस लेकर उक्त सच्ची प्रतिलिपि को अभिलेख पर स्वीकार करने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 13.02.2023 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि दाखिल आवेदन विधि समत नहीं है क्योंकि दाखिल दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि फर्जी है। वादी द्वारा दाखिल बयनामा दस्तावेज सं0–4401 दिनांक 08.05.1954 की जो तथाकथित सच्ची प्रतिलिपि दिनांक 22.12.2022 को दाखिल किया गया है उसके अवलोकन से दस्तावेज की प्रति दिनांक 08.10.2022 को जिला अवर निबंधन कार्यालय मोतिहारी से निर्गत होना प्रतीत होता है। वादी दिनांक 29.01.2018 को निर्गत दस्तावेज	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–128/2017

आनन्द बिहारी ठाकुर...वादी

बनाम

योगी राय उर्फ योगेन्द्र राय एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **27.11.2024**	सं0–4401 तथाकथित फर्जी सच्ची प्रतिलिपि दाखिल की गई थी। जिसके संदर्भ में भी अवर निबंधन कार्यालय मोतिहारी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने पत्रांक 513 दिनांक 01.03.2019 द्वारा यह सूचना दी गई थी कि दिनांक 29.01.2018 को निर्गत दस्तावेज सं0–4401 की सच्ची प्रतिलिपि कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं है। उपरोक्त पत्र की मूल प्रति प्रतिवादी द्वारा दिनांक 15.03.2019 को इस वाद में दाखिल किया गया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख कानूनी बिन्दु पर सुनवाई हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। दाखिल दस्तावेज वाद से संबंधित होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 22.12.2022 स्वीकार करते हुए दाखिल दस्तावेज को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 21.12.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	